संख्या /XXVII(1)/2007

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग – 1 देहरादून, दिनांक : 31 जुलाई, 2007

विषयः माह जुलाई – अगस्त 2007 के वेतन आहरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या 599/XXVII(1)/2007, दिनांक 12 जुलाई, 2007 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–2008 के आय–व्ययक की धनराशि प्रशासनिक विभाग/बजट नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर इस आशय से रखी गयी थी कि बचनबद्ध मदों की धनराशि 31 जुलाई, 2007 तक आहरण–वितरण अधिकारी के निवर्तन पर रख दी जाय, जिससे माह जुलाई– अगस्त, 2007 के वेतन/पेंशन आहरण में कोई असुविधा न हो। शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि अधिकतर आहरण–वितरण अधिकारियों को बचनबद्ध मदों का बजट उपलब्ध नहीं कराया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जुलाई, 2007 का वेतन जो जुलाई, 2007 में देय है तथा अगस्त, 2007 के वेतन का आहरण कोषागारों द्वारा आय–व्ययक 2007–08 में दर्शाये गये सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत बजट आवंटन की प्रत्याशा में आवंटित कर दिया जाय। सम्बन्धित आहरण–वितरण अधिकारी तत्काल सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/बजट अधिकारी से आय–व्ययक द्वारा प्राविधानित बजट प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे, जिससे अन्य बचनबद्ध मदों में समय से भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। नियमित बजट जारी होने पर आहरित धनराशि समायोजित की जाय।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या 687 (1)/XXVII(1)/2007 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रक अधिकारी, उत्तरांचल।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
4. समस्त अनुभाग, सचिवालय, उत्तरांचल शासन।
5. निदेशक, एन0 आई0 सी0, उत्तरांचल।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्रीजी।

आज्ञा से,

31/7/2007

(एल0 एम0 पंत)
अपर सचिव, वित्त